न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 55/2023/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 13.04.2023	तारीख फैसला 27.12.2023

उनवान

राजकुमार पिता रामसुख कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
– प्रार्थी

बनाम

1– ओम प्रकाश पिता सोहनलाल स्वर्णकार निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
1/1– शारदा देवी पत्नी ओम प्रकाश सोनी निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
1/2– लोकश कुमार पिता ओम प्रकाश सोनी निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
1/3– चन्दन पुत्र ओम प्रकाश सोनी निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
2– केलाश पिता सोहनलाल स्वर्णकार निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
3– गोपाल पिता सोहनलाल स्वर्णकार निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
4– भरत राज पिता सोहनलाल स्वर्णकार निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा
5– शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाहपुरा
6– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका शाहपुरा
7– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 ए0

उपस्थिति – श्री योगेन्द्र सिंह भाटी :– अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. 2318 खसरा नम्बर 6160 रकबा 0.52 है0 स्थित है। एवं विपक्षीगण सं. 01 लगायत 04 के खातेदार की कृषि भूमि 6153 रकबा 0.94 है0 स्थित है। प्रार्थी की पैरा सं. 01 में वर्णित आराजियात पर आने जाने, कृषि यंत्र उपकरण लाने ले जाने, हकाई बुआई, कटाई आदि कृषि कार्य करने हेतु प्रार्थी के पा एक मात्र लघुतम व निकटतम रास्ता शाहपुरा से समेलिया–आसीन्द आम सड़क से होते हुए विपक्षी सं. 06 के नाम दर्ज भूमि में से जो कि मौके पर आम रास्ते के रूप में स्थित है। जिसके कुछ हिस्से पर मोक्षधाम निर्मित है, जिसके चारों तरफ पक्की चारदीवारी निर्मित है। जिसके समानान्तर आम रास्ता आगे खेतों की ओर जा रहा है। आम रास्ता स्थित है, इससे होते हुए विपक्षीगण सं. 01 लगायत 04 की खातेदारी कृषि भूमि आराजी सं. 6153 की मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थी अपनी पैरा सं. 04 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 6160 पर पहुंचता है। पैरा सं. 03 में वर्णित अनुसार ये ही एक मात्र रास्ता सर्वाधिक लघुतम व निकटतम रास्ता मौके पर मौजूद है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी की पैरा सं. 01 में वर्णित आराजी पर पहुंचने हेतु मौजूद नहीं है। विपक्षीगण सं. 01 लगायत 04 ने अपनी कृषि भूमि खसरा सं0 6150 रकबा 0.22 है., 6152 रकबा 0.03 है., 6153 रकबा 0.94 है. कुल किता 03 रकबा 1.1900 है. में अपनी खातेदारी कृषि मे जरिए नक्शा प्लान द्वारा कंजन विहार कॉलोनी बनाकर प्लॉट काटकर उक्त कॉलोनी में 30 फीट रास्ता का प्लान बनाकर प्लॉट काट दिये और कांटो की बाड़/तारबंदी लगाकर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की पैरा सं. 01 व 03 में वर्णित जाने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया, जिसका प्रार्थी एवं उसका परिवार अपने पूर्वजों के समय से ही उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करता आ रहा है। फिर भी प्रार्थी ने दिनांक 19.02.2023 को विपक्षीगण सं. 01 लगायत 04 को उक्त रास्ता खुलासा करने बाबत निवेदन किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ गाली गलौच की व धमकी दी और कहा कि कोर्ट से रास्ता लेने का आदेश लेकर आ जाना तो रास्ता दे देंगे वरना कोई रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी आरजी सं. 6160 पर पहुंचने, आने जाने, कृषि यंत्र उपकरण ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने, हकाई बुआई तथा कृषि कार्य करने हेतु हेतु विपक्षीगण सं. 01 लगायत 04 की आराजी सं. 6153 में से प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 03 में वर्णित अनुसार 20 फीट चौड़ाई में लम्बाई अनुसार रास्ता चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी आराजियात पर प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 03 में बताये अनुसार 20 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाये जाने का आदेश बक्षावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की भूमि की राशि जमा कराने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 12.05.2023 को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल होने से पत्रावली दिनांक 06.06.2023 को पेश हुई। विपक्षीगण सं0 01 लगायत 04 के सम्मन अदम तामिल लौटे एवं विपक्षीगण सं0 04 लगायत 07 के सम्मन बाद तामिल लौटे। प्रकरण विपक्षीगण सं0 02 लगायत 04 की तलबी एवं विपक्षीगण सं. 01 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 02.08.2023 विपक्षीगण सं. 2, 3, 4 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से कराये जाने हेतु निवेदन किया जिससे विपक्षीगण सं. 2, 3, 4 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. करवाई गयी। साथ ही विपक्षी सं. 01 कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियत 4 व धारा 151 जा.दी. के प्रस्तुत किया किन्तु कायम मुकाम की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः प्रकरण विपक्षी सं. 01 के कायम मुकाम की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 06.09.2023 को विपक्षी सं. 04 की रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद प्राप्त किन्तु उपस्थित नहीं होने से विपक्षी सं. 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। साथ ही विपक्षीगण सं. 5, 6 भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। विपक्षीगण सं. 2, 3 के लिफाफे बिना तामिल लौटे। विपक्षीगण सं. 2, 3 की तलबी जरिए सम्मन अखबार में साया कराने हेतु अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर लिफाफे पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तलबी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 16.10.2023 को विपक्षीगण सं. 01 के कायम मुकाम के सम्मन बाद तामिल लौटे किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरूद्ध दिनांक 12.12.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 12.12.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा संशोधन उनवान प्रस्तुत किया एवं विपक्षीगण सं. 2, 3 की तलबी जरिए सम्मन अखबार में साया कराये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के सम्मन राजस्थान पत्रिका में साया कराये जाने हेतु आदेश दिये गये एवं पेशी दिनांक 18.12.2023 नियत की गयी। नियत पेशी दिनांक 18.12.2023 को विपक्षीगण सं. 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पत्र जारी किया जाकर पेशी दिनांक 27.12.2023 नियत की गयी। दिनांक 27.12.2023 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 909 दिनांक 27.12.2023 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित जिन्होंने बहस हेतु निवेदन किया। जिससे अभिभाषक प्रार्थी की एकरफा बसह सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी 6160 पर जाने जाने हेतु आराजी नम्बर 6153 से रास्ता चाहता है जो वर्षो से मौजूद है। उक्त रास्ते से निकलने हेतु विपक्षीगण द्वारा मना दिया गया जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उसी अनुसार प्रार्थीया को रास्ता दिलाया जावे प्रार्थीया डीएलसी अनुसार रास्ते की राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर रास्ते का आदेश करते हुए राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश बक्षावें।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की आराजियात पर आने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक बताया है। भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ता अनुसार आराजी नम्बर 6069 (आबादी नगर पालिका शाहपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड), 10069/6069 (बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड), 6151(आबादी नगर पालिका शाहपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड) होते हुए विपक्षीगण सं. 1 लगायत 4 की आराजी नम्बर 6153 में से होते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया है। साथ ही आराजी नम्बर 6150(विपक्षीगण सं. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रेकार्ड), 6149(आबादी नगर पालिका शाहपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड) होते हुए विपक्षीगण सं. 1 लगायत 4 की आराजी नम्बर 6153 में से होते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो लघुत्तम होना बताया गया है। अतः भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा एवं पटवारी हल्का शाहपुरा की संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादी की आराजी पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना एवं रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक बताया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट एवं रास्ता प्रस्ताव अनुसार प्रार्थीगण को खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु आराजी सं0 6132 गैमु. रास्ता से होकर 6149, 6150, 6153 में से प्रस्तावित किया गया रास्ता लघुत्तम होने से उक्त आराजियात में से निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा हे0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल × चौ. वर्ग मीटर मे	रास्ते हेतु वांछित भूमि का रकबा हे0 में	वि0वि0
1.	कैलाश, गोपाल, भरतराज पुत्र सोहनलाल स्वर्णकार सादेह, चन्दन, राहुल, लावेश पुत्र ओमप्रकाश स्वर्णकार सादेह, शारदा पत्नी ओमप्रकाश स्वर्णकार सादेह खातेदार	6150	0.22	38 × 6.10	0.0232(2496 वर्ग फीट)	विपक्षीगण सं0 1 लगायत 4

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज.)

2.	कैलाश, गोपाल, भरतराज पुत्र सोहनलाल स्वर्णकार सादेह, चन्दन, राहुल, लाकेश पुत्र ओमप्रकाश स्वर्णकार सादेह, शारदा पत्नी ओमप्रकाश स्वर्णकार सादेह खातेदार	6153	0.94	110 × 6.10	0.0671(7222 वर्ग फीट)	विपक्षीगण सं0 1 लगायत 4
3.	आबादी नगर पालिका	6149	0.13	24 × 6.10	0.0146(1571 वर्ग फीट)	प्रतिवादीगण सं. 6

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शाहपुरा प0म0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 6160 तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं0 01 लगायत 4 की आराजी सं0 6150 रकबा 0.22 है0 में से 38 मीटर लम्बा × 6.10 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0232 है0 भूमि एवं आराजी नम्बर 6153 रकबा 0.94 है0 में से 110 मीटर लम्बा × 6.10 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0671 है0 भूमि की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार विपक्षीगण सं0 06 की आराजी सं0 6149 रकबा 0.13 है0 में से 24 मीटर लम्बा × 6.10 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.0146 है0 भूमि की आवश्यकता होगी।

उक्त सारणी के क्र0सं0 1, 2, 3 पर अंकित विपक्षीगण के सामने कॉलम सं0 06 में अंकित रास्ते हेतु आवश्यक भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि संबंधित काश्तकारान को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त उक्तानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 27.12.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (राज.)

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम की कार्यवाही करें एवं रास्ते हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को भुगतान की कार्यवाही करें।
संलग्न :- नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा